न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 139/2019

1. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मण्डावा जिला झुंझुनू।

—— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्रो. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री गोकुलचन्द शर्मा टेलीफोन एक्सचेन्ज के पास, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनू।
2. श्री शौकत अली पुत्र श्री अब्दुल गफूर सब्जीफिरोश जामा मस्जिद के पास, मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।
3. श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा ग्राम हेतमसर तहसील व जिला झुंझुनू।
4. गोकुलचन्द पुत्र श्री तुलसीराम शर्मा टेलीफोन विभाग के पास, मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

—— ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 एतद् पश्चात "एक्ट" से संबोधित किया गया है ऋणी/जमानती से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत।

——

उपस्थितः–

1 एडवोकट श्री आर.पी.सिहं (बैंक ऑफ बड़ौदा) –..... प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 05.09.2019

प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को कुल रूपये 6,00,000/– जिसे प्रार्थी की मांग के अनुसार नवीनीकृत करते हुये रूपये 2,52,000/– किया गया की ऋण सुविधा दिनांक 05.05.2006 जिसे प्रार्थी की मांग के अनुसार नवीनीकृत किया गया तथा अन्तिम नवीनीकृत दिनांक 15.02.2008 को केश केडिट हाईपोथिकेशन लिमिट लोन के बाबत उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणीयो/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पतियों के साथ श्री गोकुलचन्द पुत्र श्री तुलसीराम शर्मा की टेलीफोन विभाग के पास, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनू स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार) तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, वर्क–इन–प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुडस जैसे सेमी–फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेटस, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित) को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 31.03.2019 को एन.पी.ऐ. घोषित कर दिया गया व ऋणी के ऋण खाते में रूपये 2,78,430/– दिनांक 31.03.2019 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाता दिनांक 31.03.2019 को एन.पी.ऐ. घोषित होने के कारण

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

"एक्ट" की धारा 13(2) के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक ने ऋणी सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 02.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न ही बंधकशुदा संम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि रूपये 2,78,430/– दिनांक 31.03.2019 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित सम्पति का कब्जा व सम्बन्धित डॉक्यूमेन्टस का कब्जा प्रार्थी बैंक को सूपूर्द करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सूचारू रूप से विक्रय एवं अंतरण (नीलामी) हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति (अचल सम्पति :– श्री गोकुलचन्द पुत्र श्री तुलसीराम शर्मा की टेलीफोन विभाग के पास, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनू स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार) तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, वर्क–इन–प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुडस जैसे सेमी–फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेटस, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित)) का पजेशन प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

जिला कलक्टर, झुंझुनूं